FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

आखाराम बनाम मांगीलाल वगैरा

किस्म मुकदमा दावा 88 Rv Act नं. 106 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.7.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री दामोदर कुमार चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 Rv Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/7/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
15/07/2020	वादी वकील व वादीगण स्वयं उप०। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1-आखाराम पुत्र मांगीलाल जाट नि०- इडो की ढाणी व प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी स्वयं DW-1 श्री मांगीलाल पुत्र हीराराम जाति- जाट निवासी- इडो की ढाणी के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वादी ... का वादीगण का वाद स्वीकार किया ... लिया जाकर शामिल पत्रावली ... [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	R.Z. Bariu. जेठाराम मांगीलाल [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:27:09 IST
Reason: SelfAttested

डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

15.7.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:27:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 106/2020

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण
1. लाखाराम पुत्र मांगीलाल
2. जेहाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट
   निवासी हुडों की ढाणी तहसील
   बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल पुत्र हीराराम जाति जाट
   निवासी हुडों की ढाणी तहसील
   बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री दामोदर कुमार वकील वादीगण
2. श्री रामस्वरूप शर्मा वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– **दिनांक** : 15/07/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा हुडों की ढाणी पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 2.8800 हैक्टेयर व मौजा चवा नाडा पटवार मण्डल कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 368/81, 81 रकबा क्रमशः 1.5614, 2.7911 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज के वंशज है तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादी के साथ 1/3–1/3 हिस्से के सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:27:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया था वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण हीराराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी के साथ 1/3–1/3 हिस्से के सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा हुडों की ढाणी पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 2.8800 हैक्टेयर व मौजा चवा नाडा पटवार मण्डल कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 368/81, 81 रकबा क्रमशः 1.5614, 2.7911 हैक्टेयर में प्रतिवादी के साथ वादीगण प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (प्रथम) बायतु

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 15/07/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास 15.7.2020

सहायक कलक्टर (प्रथम) बायतु

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:27:09 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण

1. लाखाराम पुत्र मांगीलाल
2. जेहाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट

निवासी हुडों की ढाणी तहसील
बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र हीराराम जाति जाट

निवासी हुडों की ढाणी तहसील
बायतु जिला बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–106 / 2020. **निर्णय दिनांक :–**

वादी की ओर से वकील श्री दामोदर कुमार व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री रामस्वरूप की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15/07/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हुडों की ढाणी पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 2.8800 हैक्टेयर व मौजा चवा नाडा पटवार मण्डल कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 368 / 81, 81 रकबा क्रमशः 1.5614, 2.7911 हैक्टेयर में प्रतिवादी के साथ वादीगण प्रत्येक को 1 / 3–1 / 3 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

15.7.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:27:09 IST
Reason: SelfAttested